महिलाओं में साहस की भावना जरूरी

छिंदवाड़ा। गर्ल्स कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का समापन समारोह मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके के मुख्यातिथ्य में हुआ। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास व साहस जगाने की बात कही। इससे पहले राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के तकनीकी सत्र में डॉ. ईला घोष ने महिला सुरक्षा एवं सामाजिक बोध, डॉ. नोएल दान ने महिला सुरक्षा के दार्शनिक पक्ष पर, डॉ. मेहरा ने महिला सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, डॉ. अर्चना गौर ने महिला सुरक्षा एवं युवा दृष्टिकोण जैसे विषयों पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। मंच संचालन बिंदिया महोबिया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. कामना वर्मा ने किया। डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव, डॉ. अमरसिंह, डॉ. राजेंद्र मिश्रा, डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव, डॉ. विजय कलमधार, डॉ. सरला बाजपेयी, डॉ. उर्मिला खरपुसे, डॉ. नीलिमा बागड़े, डॉ. ज्योति सूर्यवंशी, डॉ. नीलम खासकलम, आकांक्षा शर्मा, दीपा परते ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया।

कार्यक्रम में डॉ. मीना जैन, डॉ. अजरा एजाज, डॉ. सरला बाजपेयी सहित समस्त स्टाफ का योगदान रहा। संगोष्ठी के दौरान खुला

212 किसानों की ली जमीन, मुआवजा दिया न नौकरी

एसटी आयोग उपाध्यक्ष अनुसुईया उईके ने की तीन प्रकरणों में सुनवाई, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय अनसुचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उईके ने बुधवार को तीन बड़े प्रकरणों की सुनवाई की। सबसे बड़ा मामला धनकसा खदान का सामने आया। जहां सालों पहले जमीन लेने के बाद भी वेकोलि न न तो किसानों को मुआवजा दिया और न ही सरकारी मापदंडों के मुताबिक नौकरी प्रदान की। स्थानीय सर्किट हाऊस में सुनवाई करते हुए सुश्रीउईके ने धनकसा खदान के मामले में अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद अफसरों ने बताया कि बटांकन प्रकरणों की वजह से किसानों को मुआवजा प्रदान करने में दिक्कत आ रही है। आयोग ने जल्द ही इस समस्या का निराकरण करते हुए दस्तावेजों का मिलान कर मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

दूसरा मामलाः दस्तावेजों का होगा मिलान

तोतलाडोह जलाशय के तहत पंजीकृत मछुआरों के द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी कि उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए उपाध्यक्ष सुश्री उईके ने पाया कि तोतलाडोह वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत अधिकृत होने से यहां मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया। मुआवजे को लेकर फिर से बैठक कर समस्या का निराकरण करने के आदेश दिए गए।

तीसरा मामलाः आदिवासी जमीन की होगी जांच

जिले में बड़े पैमाने पर आदिवासी की जमीन सामान्य वर्ग को बेची जा रही है। ऐसे ही एक मामले की शिकायत पर आयोग ने सुनवाई की। जिसमें पाया गया 1945 और 55 में हुई दो रजिस्ट्री के समक्ष दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण में ये भी सामने आया कि मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं।